

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1261/2012/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, वृत्त-‘बी’, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड, विधानसभा के पीछे, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटौदी व श्री पारस पाटनी,
अभिभाषकगण


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 27/10/2014

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के अपील संख्या 205/अपील्स-11/आरएसटी/जयपुर/एन/2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-‘बी’, अलवर (जिसे आगे ‘सक्षम अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 01.10.2005 को वाहन संख्या आर.जे.02/जी-8607 को चैकपोस्ट नौगावां, अलवर में रोककर चैक किये जाने पर वाहन में 14 ड्रम "ACSR DOG कंडक्टर" फरीदाबाद (हरियाणा) से अलवर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 1544 दिनांक 30.9.2005 एवं बिल्टी संख्या 3784 दिनांक 30.9.2005 प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने से माल के साथ घोषणा-पत्र एस.टी. 18ए पाया जाना चाहिए था, जो नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त माल का ‘सी’ फॉर्म के समर्थन से रियायती कर दर पर क्रय किया जाकर अन्तर्राज्यीय विक्रय दर्शाते हुए सीधे ही मैसर्स जे.वी.वी.एन.एल., जयपुर को विक्रय किये जाने में राज्य के कर का अपवंचन एवं माल परिवहन में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 3,81,261/- का आरोपण आदेश दिनांक 7.10.2005 से किया गया।




लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.2.2008 से स्वीकार करते हुए प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वक्त जांच घोषणा-पत्र एस.टी.18ए किन कारणों से उपलब्ध नहीं था, के तथ्य की जांच की जाकर पुनः आदेश पारित करें। उक्त निर्देशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 के तहत आदेश दिनांक 20.7.2010 पारित करते हुए, पूर्व में आरोपित शास्ति को यथावत बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2011 से स्वीकार करते हुए, सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 20.7.2010 अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त जांच माल के साथ घोषणा-पत्र एस.टी.18ए उपलब्ध नहीं था। 'सी' फॉर्म के समर्थन से आयातित माल की डिलीवरी अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में दर्शाये जाने से, स्पष्ट रूप से करापवचन का प्रयास किया गया है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार बाबत स्पष्ट अंकन बिल्टी पर किया हुआ नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार की आड़ में अधिसूचित माल का घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के बिना आयात कर राज्य में परिवहन किये जाने में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त 9 वी.एस.टी. 01 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होने से सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार किये बिना सक्षम अधिकारी के उक्त विधिक आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....3

6. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि आयातित माल बिजली के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, अतः इसके आयात के लिये प्रथमतः घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कहना है कि वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किये गये माल की एन्वॉयस में माल का "प्रेषक" मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद "प्रेषित" मैसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड 'अकाउन्ट' जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलवर अंकित है। इस प्रकार माल के दस्तावेजों पर माल के प्रेषक-प्रेषित का पूरा नाम व पता अंकित होने से सक्षम अधिकारी द्वारा इस संव्यवहार से सम्बन्धित आवश्यक जांच की जा सकती थी, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के तहत आयातित माल का परिवहन करापवंचन की मंशा से मिथ्या/फर्जी दस्तावेजों से राज्य में परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए अधिनियम की धारा 78(2) सपडित नियम 53 के विधिक प्रावधानों की अवहेलना किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी का अविधिक आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 36 टैक्स अपडेट 37 मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ. उड़नदस्ता, बांसवाड़ा व अन्य; (2011) 39 वी.एस.टी. 505 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-11, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम स्माइलेक्स फार्मास्यूटिकल्स; 35 टैक्स अपडेट 49 मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी; माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 37 टैक्स अपडेट 233 मैसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड जयपुर बनाम ए.सी.टी.ओ. वार्ड-11, वृत्-बाड़मेर तथा अपील संख्या 1169/2010/जयपुर मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-चतुर्थ, वृत्-ए, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 का हवाला दिया गया। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उक्त तर्कों के साथ अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत बहाल रखे जाने का अनुरोध किया गया।



लगातार.....4


7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध वक्त चैकिंग विवादित माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये बिल/बिल्टी के अवलोकन से पाया गया कि माल की एन्वॉयस में विक्रेता द्वारा माल मैसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड को 4 प्रतिशत सी.एस.टी. वसूल कर विक्रय किया जाकर प्रत्यर्थी का नाम प्रेषिति के रूप में स्पष्ट अंकन है एवं बिल्टी में माल की डिलीवरी मैसर्स जयपुर वितरण निगम लिमिटेड को किया जाना दर्शाया हुआ है। इससे विवादित माल का राज्य में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के रूप में परिवहनित होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध उक्त दस्तावेजों में अंकित माल प्रेषक/प्रेषिति से अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई जांच की जाकर इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया मिथ्या/असत्य प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही शास्ति आरोपण के आदेश में ऐसा कोई उल्लेख किया हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संख्या 3046833 भी प्रस्तुत कर दिया गया था।

9. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 1169/2010/जयपुर मैसर्स लार्सन एण्ड द्यूब्रो लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-चतुर्थ, वृत्त-ए, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 के पैरा 8 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त का हवाला दिया गया है, जो निम्नानुसार है :-

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय (2007) 28 एस.टी.टी. 131 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, गंगापुरसिटी के पैरा 7 में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि -

".....There is nothing in the orders of all the three authorities below, which indicates that any enquiry was held into the genuineness of these three documents produced by the driver of the vehicle. As a matter of fact, the production of these three documents satisfies the requirement of Section 78(2)(a) and (c) of the Act. The scope of Section 78(2) read with Section 78(5) was restricted and limited to the extent of verification of these three documents in support of the transit of goods alone. The assessing authority could not have pursued and followed up the entire transaction of the sale of goods by transfer of documents of title under Section 6(2) of the C.S.T. Act and even assuming for argument sake that it could be followed, the doubt raised on the




genuineness of the challan and blank bills Nos. 125 to 152 found in the bill book of the assessee was wholly uncalled for. Similarly, the non-recording of the sale in the books of accounts either in favour of M/s. Govind Oil Mill or subsequent purchaser at the time of checking on 12.1.99 was for consequence as the sale was not yet complete. No enquiry was made from the subsequent purchaser M/s Suresh Chand Gaurav Kumar, to verify the actual transaction of sale and coupled with the fact of due C.S.T. having being charged by the assessee. **The assessee is entitled to sell the goods by transfer of documents of title to the goods while the goods are in transit under Section 6(2) of the C.S.T. Act.** The documents which accompanied the goods and vehicle were not found to be fake or forged in any manner by the assessing authority. The penalty under Section 78(5) of the Act, therefore, cannot be sustained in the present case."

10. अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 14.2.2008 से प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निम्न निर्देश दिये गये थे :-

"उपर्युक्त विवेचना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी.मैटल्स 124 एसटीसी 611 के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन अपील में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) की उल्लंघना किये जाने पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाकर प्रकरण को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड-11, वृत्त-बी, अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस संबंध में जांच करें कि माल के संचालन के समय फार्म एसटी 18 ए के माल परिवहन से संबंधित दस्तावेजों के साथ नहीं होने के क्या कारण थे। जांच करने के पश्चात जो परिणाम सामने आता है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।"

11. उक्त निर्देशों की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश में व्यवहारी को सुनवाई दिनांक 07.06.2010 के लिये दिनांक 21.05.2010 को निम्न नोटिस जारी किया गया :-

"आपके विरुद्ध पारित किये गये शास्ती आदेश अन्तर्गत धारा 78 (5) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम दिनांक 07.10.05 के संबंध में श्रीमान उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय वाणिज्यिक कर जयपुर द्वारा अपील संख्या 164/अपील्स-11/आर.एस.टी./जयपुर/बी/2005-06 के संदर्भ में उक्त प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेशों की पालना में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि नियत तिथि तक उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजी रिकॉर्ड सहित पुनः कर निर्धारण हेतु कार्यालय में उपलब्ध हों। अनुपस्थिति की दशा में एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर मॉग कायम कर दी जायेगी। सूचित हों।"




12. उक्त नोटिस के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2010 में निम्न निष्कर्ष निकाला गया है :-

“प्रस्तुत जवाब को पत्रावली पर रखा जाकर विधिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाने पर पाया गया कि वक्त जांच, व्यवसायी को पूर्ण अवसर दिया जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा अनुवर्ती बिक्री संबंधी कोई बिल जारी किया जाना प्रमाणित नहीं किया जा सका। अब जवाब के साथ जो बिल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं, वे सभी बाद विचार, पश्चातवर्ती सोच के परिणामस्वरूप पेश किये गए हैं, जो कि वक्त जांच उक्त संव्यवहार को सिद्ध नहीं कर सके। इसी प्रकार वक्त जांच विधिक घोषणा प्रपत्र ST-18ए का संलग्न नहीं होना एवं बाद में जवाब के साथ प्रस्तुत किया जाना, करचोरी की मंशा को स्पष्टतः प्रमाणित करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M/s गुलजग इण्डस्ट्रीज Vs कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अधिसूचित माल के आयात के साथ घोषणा प्रपत्र संलग्न होना अनिवार्य है, जिसमें मैन्सरिया को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत जवाब विधिसम्मत प्रतीत नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है, एवं तत्कालीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित माल कीमतन रू0 12,70,871.00 पर धारा 78(5) रा.वि.क.अधि. के अधीन आरोपित शास्ति रू0 3,81,261.00 को यथावत रखा जाता है।”

13. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.2.2008 द्वारा प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वक्त जांच घोषणा-पत्र किन कारणों से उपलब्ध नहीं था, इस तथ्य की जांच के पश्चात पुनः आदेश पारित करें, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इस तथ्य की जांच किया जाना आदेश से स्पष्ट नहीं होता है। पैरा 12 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उल्लेखित निष्कर्ष में 'वक्त जांच' शब्द दिनांक 01.10.2005 की जांच का ही संदर्भ दिया गया है। अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए बिना जांच किये ही मैकेनिकल तरीके से आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित है कि माल का परिवहन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत किया जा रहा था, जिससे सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल के साथ उपलब्ध दस्तावेजों को किसी जांच से मिथ्या/असत्य प्रमाणित किये बिना माल के संव्यवहार बाबत अपने निर्वचन को आधार बनाकर माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतः अनुचित एवं अविधिक है।



14. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की ओर से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित शास्ति को अपास्त करने हेतु पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
15. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2011 की पुष्टि की जाती है।
16. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य